

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर द्वितीय, जयपुर

अध्यक्ष :- अशोक शर्मा (कैम्प/अतिरिक्त प्रभार)

सदस्य :- अजय कुमार

सदस्य :- सुप्रिया अग्रवाल

उपभोक्ता परिवाद संख्या 160/2022

चन्द्रभान जालान प्रोपराईटर मैसर्स जालान वैलडिंग एण्ड हार्डवेयर स्टोर पता 61, संसार चन्द्र रोड, मंडावा हवेली के सामने, जयपुर-302001 एवं प्लॉट नं. 62, कृष्णा नगर कॉलोनी, ढेहर का बालाजी, तीन दुकान, सीकर रोड, जयपुर राज.-302039

परिवादी

बनाम

1. मैट्रो कैश एण्ड कैरी इण्डिया प्रा.लि. जरिये प्रबन्धक/निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि पता प्लॉट नं. ए-118, बी-119, बी-120, रोड नं. 9, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302013
2. पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग प्रा.लि.जरिये प्रबन्धक/निदेशक पता पोस्ट बॉक्स 27, डी एल एफ कुतुब एनक्लेव, फेज-1, गुरुग्राम-122002 हरियाणा।

विपक्षीगण।

परिवाद अन्तर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,2019

उपरिथत -

1. मीनाक्षी अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2. श्री नवेद रफीक, विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं. 1 की ओर से।
3. विपक्षी सं. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

अग्रवाल
17/9/26

अग्रवाल
17/9/26

Ash
17/9/26

-: निर्णय :-

दिनांक: 17-09-2026

1. परिवादी की ओर से विपक्षीगण के विरुद्ध हस्तगत परिवाद दिनांक 06-04-2022 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी के घर पर मेहमान आये थे जिसके लिये परिवादी ने विपक्षी सं. 1 के यहां से आवश्यकतानुसार कई प्रकार की खाद्य सामग्री दिनांक 10-11-2020 को कय की थी जिनमें परिवादी ने विपक्षी सं. 2 द्वारा निर्मित लेज कम्पनी के आलू चिप्स भी बिल नं. 4504टी102009356 दिनांकित 10-11-2020 विपक्षी सं. 1 से कय किये थे। परिवादी ने मेहमानों को सर्व करते समय चिप्स के पैकेट को हल्का महसूस करने पर उसका वजन किया तो उसका वजन 15 ग्राम के बजाय 4 ग्राम ही निकला। परिवादी ने विपक्षी सं. 1 को इसकी शिकायत की तो विपक्षी सं. 1 ने अभद्र व्यवहार किया। विपक्षीगण का उक्त कृत्य सेवादोष एवं अनुचित व्यापार प्रथा की श्रेणी में आता है। जिसके लिये परिवादी ने विपक्षीगण से वांछित अनुतोष दिलाये जाने का अनुरोध किया।
2. प्रस्तुत परिवाद बाद जांच आयोग में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया।
3. विपक्षी सं. 2 पर्याप्त तामील के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 22-07-2022 को उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उसके बाद दिनांक 10-10-2023 को विपक्षी सं. 2 ने विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित सेठी के माध्यम से एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको इस आयोग को दिनांक 08-11-2023 को खारिज किया गया।
4. विपक्षी सं. 1 की ओर से परिवाद का जवाब देते हुये कथन किया गया कि परिवादी के द्वारा उक्त बिल नं. 4504टी102009356 दिनांकित 10-11-2020 से सामान व लेज कम्पनी के आलू चिप्स लेना स्वीकृत है। परिवादी ने लेस का पैकेट विपक्षी सं. 1 से कय किया तो यह भी हो सकता है कि विपक्षी सं. 2 की फैक्ट्री में निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ी की वजह से सीलबन्द पैक में चिप्स कम मात्रा में पैक हुई हो

25/9/26
17/9/26

Sup -
17/9/26

Adh
17/9/26

और यह भी कहा है कि सामग्री के निर्माण के दोष के लिये निर्माता कम्पनी ही जिम्मेदार है। परिवादी ने उन्हें कोई शिकायत नहीं की और न ही अभद्र व्यवहार किया। विपक्षीगण द्वारा कोई सेवादोष कारित नहीं किया गया है। अतः परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

5. उभय पक्षों ने अपने-अपने साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साथ फर्द में अंकित दस्तावेजों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की।
6. उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु आयोग के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

I. क्या परिवादी के द्वारा विपक्षीगण से क्रय किये गये लेज कम्पनी के आलू चिप्स का वजन 15 ग्राम के स्थान पर 4 ग्राम बेचकर विपक्षीगण ने कोई सेवा दोष कारित किया ?

II. यदि हां तो उचित अनुतोष क्या होगा ?

7. उक्त विचारणीय बिन्दुओं को साबित करने का भार परिवादी पर है।
8. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने बहस के दौरान अपने-अपने अभिवचनों/अभिकथनों की पुनरावृत्ति की और प्रस्तुत दस्तावेजों की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित कराया है जिनका यथा स्थान विवेचन किया जा रहा है।
9. परिवादी के अभिवचनों/अभिकथनों तथा पत्रावली पर सलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने विपक्षी सं. 1 के यहां से आवश्यकतानुसार कई प्रकार की खाद्य सामग्री दिनांक 10-11-2020 को क्रय की थी जिनमें परिवादी ने विपक्षी सं. 2 द्वारा निर्मित लेज कम्पनी के आलू चिप्स भी बिल नं. 4504टी102009356 दिनांकित 10-11-2020 विपक्षी सं. 1 से क्रय किये थे। परिवादी ने मेहमानों को सर्व करते समय चिप्स के पैकेट को हल्का महसूस करने पर उसका वजन किया तो

25/9/26
17/9/26

Sup-
17/9/26

AD
17/9/26

उसका वजन 15 ग्राम के बजाय 4 ग्राम ही निकला। परिवादी ने विपक्षी सं. 1 को इसकी शिकायत की तो विपक्षी सं. 1 ने अभद्र व्यवहार किया।

10. विपक्षी सं. 1 ने बहस के दौरान यह कथन किया कि परिवादी ने लेज कम्पनी के आलू चिप्स का पैकेट अन्य सामान के साथ विपक्षी सं. 1 से कय किया तो यह भी हो सकता है कि विपक्षी सं. 2 की फैक्ट्री में निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ी की वजह से सीलबन्द पैक में चिप्स कम मात्रा में पैक हुई हो और यह भी कहा है कि सामग्री के निर्माण के दोष के लिये निर्माता कम्पनी ही जिम्मेदार है और परिवादी उनके पास सामान लेने के बाद नहीं आया और न ही उन्होंने उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया।
11. परिवादी के द्वारा विपक्षी सं. 1 के यहां से उक्त लेज कम्पनी के आलू चिप्स का पैकेट खरीदना स्वीकृत है तथा उसमें 15 ग्राम वजन के स्थान पर मात्र 4 ग्राम ही वजन पाया गया है। यह लेज कम्पनी के आलू चिप्स का पैकेट विपक्षी सं. 2 के द्वारा निर्मित किया गया है। विपक्षी सं. 2 के पर्याप्त तामील के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरुद्ध पहले ही एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। विपक्षी सं. 2 की ओर से इसका कोई खण्डन नहीं किया गया है इसलिये परिवादी के कथन को स्वीकार करने के अलावा आयोग के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है।
12. विपक्षीगण के देशभर में काफी संख्या में स्टोर्स हैं। उनके यहां प्रतिदिन लाखों उपभोक्ता खरीददारी करने आते हैं और प्रत्येक स्टोर से वे सामान में कम वजन देकर करोड़ों रुपये कमाकर अनुचित लाभ करा रहे हैं। विपक्षीगण का उक्त कृत्य गम्भीर सेवादोष व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है।
13. इसलिये उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार परिवादी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत परिवाद विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध खारिज किया जाता है और विपक्षी सं. 2 के विरुद्ध आदेश में वर्णितानुसार स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

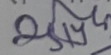
अभि
17/9/26

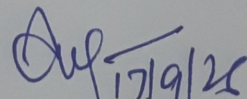
Sup
17/9/26

Adh
17/9/26

आदेश

अतः परिवादी चन्द्रभान जालान की ओर से विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध हस्तगत परिवाद खारिज किया जाता है किन्तु विपक्षी सं. 2 के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत परिवाद स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 2 को आदेश दिया जाता है कि वह आदेश की दिनांक से एक माह के अन्दर परिवादी को लेज कम्पनी के आलू चिप्स के पेटे वसूल की गई राशि 5/- रुपये (अक्षरे पांच रुपये) एवं उस पर परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक 06-04-2022 से भुगतान करने की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना करके, ब्याज सहित राशि का परिवादी के नाम का चेक/डी.डी. आयोग में प्रस्तुत करे एवं विपक्षी सं. 2 परिवादी को मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति हेतु 5,000/- रुपये (अक्षरे पांच हजार रुपये) व परिवाद व्यय पेटे 3,000/- रुपये (अक्षरे तीन हजार रुपये मात्र) कुल राशि 8,000/- रुपये (अक्षरे आठ हजार रुपये) भी आज से एक माह में परिवादी को अदा करे। विपक्षीगण द्वारा उक्त 8,000/- रुपये (अक्षरे आठ हजार रुपये) एक माह में अदा नहीं करने पर विपक्षी सं. 2 परिवादी को सम्पूर्ण राशि पर आदेश की दिनांक से अदायगी तक 06 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करेगा।

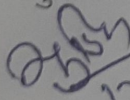

17/9/26
(सुप्रिया अग्रवाल)
सदस्य

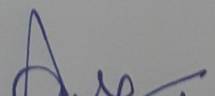

17/9/26
(अजय कुमार)
सदस्य


17/9/26
(अशोक शर्मा)
अध्यक्ष

निर्णय आज दिनांक 17-09-2026 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर

मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।


17/9/26
(सुप्रिया अग्रवाल)
सदस्य


17/9/26
(अजय कुमार)
सदस्य


17/9/26
(अशोक शर्मा)
अध्यक्ष